

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2017

विषय:-राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के व्यय, उपभोग एवं समर्पण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि व्यय किये जाने के लिए मानक एवं दरों का निर्धारण किया गया है। उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्तिगत लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता अनिवार्य रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश संख्या-33-6/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 03 अप्रैल, 2017 (राहत की वेबसाइट पर उपलब्ध है) द्वारा अहैतुक सहायता, भूमि/कृषि निवेश अनुदान, पशुओं के प्रतिस्थापन हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों, मत्स्य पालकों, हथकरघा/हस्तशिल्प दस्तकारों, क्षतिग्रस्त मकानों आदि के संबंध में दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खातों (Through Direct Benefit Transfer) में वितरित किये जाने के लिये व्यापक निर्देश दिए गए हैं।

2- राजस्व (राहत) विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से दिनांक 01.04.2016 से धनराशि स्वीकृत करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त भी किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-राजस्व-11, दिनांक 04.03.2013 में अन्य निर्देशों के अलावा राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के उपभोग के पश्चात बचत होने पर वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित किये जाने के निर्देश भी दिए गये थे।

3- शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुमन्य सहायता कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Through Direct Benefit Transfer) में अन्तरित नहीं की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि शासन के निर्देशों के विपरीत राजकोष से आहरित करने के उपरांत धनराशि को चेक/बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से समर्पित किया जा रहा है। भारत सरकार/शासन के निर्देशों विपरीत धनराशि का आहरण कर बैंक खातों में रखा जाना एवं चेक/बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से समर्पण किया जाना वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Through Direct Benefit Transfer) में अन्तरित की जाय। स्वीकृत धनराशि को आहरित करके बैंक खातों में न रखा जाय और न ही बचत की धनराशि को चेक/बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से समर्पित किया जाय। उक्त दिशा-निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में वित्तीय अनिमितता मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

5- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

सं-जी० अ०-०२/१-१०-२०१७-३३(२९)/२०१७

Most Immediate

No. 33-6/2016 NDM-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II,
Jai Singh Road, New Delhi - 110001,
Dated the 3rd April 2017

To

The Chief Secretaries
(All States/ UTs)

Subject:- Disbursement of all beneficiary oriented assistance through Direct Benefit Transfer (DBT) into the account of the beneficiary - regarding.

Sir/ Madam,

As you are aware that the Government of India has launched a major reform initiative Direct Benefit Transfer (DBT) on 1st January, 2013 to re-engineer the existing cumbersome delivery processes using modern Information and Communication Technology (ICT). This programme aims to transfer benefits directly into the bank/ postal accounts, preferably Aadhaar seeded, of accurately targeted beneficiaries. In a nutshell, DBT intends to achieve:

- 267/PJH/17
सचिव के. 1.10
- Electronic transfer of benefits, minimising levels involved in benefit flow.
 - Reduced delay in payments.
 - Accurate targeting of the beneficiary.
 - Curbing pilferage and duplication.

3
10.04.17
(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, राजस्व एवं ग्रहण आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन

2. DBT is an attempt to ensure a better and timelier delivery of benefits to the targeted beneficiary. This marks a paradigm shift in the process of delivering government benefits like wage payments, fuel subsidies, food grain subsidies, etc. directly into the hands of the beneficiaries, speeding up payments, removing leakages, and enhancing financial inclusion.

19006/मजरा/17
वि० स० (श)
12/4/17
(राजाराम II)
निजी सचिव
सचिव राजस्व
सचिव राजस्व

3. As such, effective from April 1st, 2017, State Governments should invariably use Direct Benefit Transfer (DBT) to provide various kinds of beneficiary oriented assistance under SDRF/ NDRF like gratuitous relief, input subsidy assistance to farmers for land/ crop loss, assistance to small and marginal farmers for replacement of animals, assistance to fishermen, assistance to handicraft/ handloom artisans and assistance for houses damaged etc.

4. In view of the above, the State Governments are requested to take necessary action to ensure that all individual beneficiary-oriented assistance is mandatorily/ necessarily disbursed through DBT into the account of the beneficiary w. e. f. April 1st, 2017.

(Sanjeev Kumar Jindal)
Joint Secretary (DM)

Copy to:-

- 2087
30.4.17 (म)
N.S.
- The Relief Commissioner/ Secretary (Disaster Management) (All States/ UTs).
 - The Resident Commissioners (All States/ UTs), New Delhi.

Copy also to:-

JS (PF-I) Expenditure/ JS -DM (DAC & FW)/ Master Folder.